FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी **मुकाम** बाप जिला--फलोदी

किसनाराम पुत्र अर्जुनराम बनाम जीवणराम पुत्र रणजीताराम वगैरा

किस्म मुकदमा 151,152 सी.पी.सी. **मु.नं.**........75........ **सन**...2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर अहकाम हुक्म में
05/05/2026	अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 151,152 सिविल प्रकिया संहिता के तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने निवेदन किया कि ग्राम तालरिया के खसरा नंबर 2128/2 व 2128/1 की पत्थरगढी करवाने हेतु जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थना पत्र टंकित करते समय खसरा नम्बर 2128/1 व 2128/2 के स्थान पर खसरा नम्बर 2129/1 व 2129/2 टंकित कर दिया गया। आदेश टंकण करते समय प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरान् का भूलवश टंकण कर दिया गया। इसलिए उक्त निर्णय/आदेश में ग्राम तालरिया के खसरा नम्बर 2129/2 व 2129/1 के स्थान पर खसरा नम्बर 2128/1 व 2128/2 की पत्थरगढी हेतु संशोधित आदेश जारी किये जाने के आदेश फरमावे। पत्रावली पर उपलब्ध निर्णय का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त निर्णय/आदेश में सेवन से ग्राम तालरिया के खसरा नम्बर 2128/1 व 2128/2 के स्थान पर खसरा नम्बर 2129/1 व 2129/2 टंकित कर दिया गया जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **आदेश** प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता का स्वीकार किया जाता है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 110/2024 अनवान किसनाराम बनाम जीवणराम वगैरा में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 21.04.2026 में आंशिक संशोधन करते हुए ग्राम तालरिया के खसरा नम्बर 2129/1 व 2129/2 के स्थान पर खसरा नम्बर 2128/1 व 2128/2 पढा व समझा जावे। शेष प्रविष्टयां यथावत रहेगी। मिसल फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। मूल प्रकरण के साथ नत्थी हो। निर्णय आज दिनांक 5/5/26 को मेरे हस्ताक्षर से सरे इजलास सुनाया गया। Satya.. (सत्य नारायण-I, R.A.S.) सहायक कलक्टर बाप (फलोदी)	